प्रश्न क्र. [क्र. 4108] ता0प्र0क्र0 4108 परि.-37

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मन्त्रालय

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2017

// आदेश //

क्रमांक एफ 10-74/2016/18-2 राज्य शासन एतद्‌द्वारा मध्यप्रदेश में स्थित Cantonment Boards को नगरीय निकाय मान्य करते हुये नगरीय निकायों के अनुरूप निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया जाता है

(1) प्रदेश में स्थित 5 Cantonment Boards - महू, मुरार, सागर, जबलपुर तथा पंचमढ़ी को नगरीय निकाय मान्य करते हुये नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयोजनेतर मद के अन्तर्गत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधा हेतु अनुदान तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रतानुसार प्रदाय किया जाए।

(2) प्रदेश के Cantonment Boards को उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार प्रदाय किये जाने वाले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र "Financial Power Volume 2" के अनुसार बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त करके संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

(3) Cantonment Boards के नागरिकों को राज्य शासन की समेकित विकास की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी घेरलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वालों के कल्याण की योजना, मुख्यमंत्री हाथठेला/सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, केश शिल्पी कल्याण योजना इत्यादि का लाभ प्रदाय किया जाए।

(4) भविष्य में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने तथा राज्य शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने पर Cantonment Boards को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में तदनुसार संशोधन किया जाए।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग